(d) whether CBI has raided the residences of other officials in this regard?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI B. SHANKARANAND): (a) to (d) Yes, Sir. Central Bureau of Investigation (CBI) has registered a criminal case under P.C. Act, 1988 and IPC.

नए पैट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर समिति

3433. **श्री महेश्वर सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने सरकारी मंजूरी दिए जाने हेतु नए पैट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों की सिफारिश करने के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों के गठन से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि अभी तक कोई समिति गठित नहीं की गई है, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इन समितियों को कब तक गठित किये जाने की संभावना है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) से (ग) सरकार ने राज्यवार/क्षेत्रवार तेल चयन बोर्डों का गठन करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक तेल चयन बोर्ड में तीन सदस्य होंगे। उच्च न्यायालय का सेवा-निवृत्त न्यायाधीश इनका अध्यक्ष होगा। अन्य दो सदस्य जनता के प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे जिसमें से एक कमजोर वर्ग का प्रतिनिधि शामिल है।

Maharashtra Government Proposal for Utilisation of Off-Shore Gas

3434. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to refer to the reply to the Starred Question No. 411 given in the Rajya Sabha on 5th August. 1992 and state:

(a) whether Government have examined to proposal received from Maharashtra Government to bring 30 MMSCMD of gas to a new land fall point of Usar;

(b) if so, the outcome thereof; and

(c) if not, the reason for the delay?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS. (SHRI B. SHANKARANAND): (a) and (b) Government has approved, in principle, the concept of a gas pipeline from the Western Offshore to the Southern Region from a suitable landfall point on the Western Coast.

(c) Does not arise.

रसोई गैस वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण

3435. **श्री कामेश्वर पासवान : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार ने रसोई गैस वितरकों द्वारा किये जा रहे उपभोक्ताओं के शोषण को समाप्त करने तथा उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु क्या उपाय किये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि रसोई गैस का नया कनेक्शन चाहने वाले उपभोक्ताओं को उनके सम्बद्ध वितरकों द्वारा उन्हें इस बात के लिए बाध्य किया जाता है कि वे गैस का चूल्हा उन्हीं की दुकान से खरीदें, जो कि खुले बाजार में उपलब्ध गैस चुल्हे की अपेक्षा मंहगा होता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इंडियन आयल कारपोरेशन के एक वितरक, मैसर्स पार्वती गैस सर्विस, सिवान, बिहार, जिसके विरूद्ध बहुत सी गंभीर शिकायतें लम्बित हैं, के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु रसोई

गैस वितरकों को दिशा-निर्देश जारी करने और उन्हें सख्ती से कार्यान्वित करने का विचार रखती है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क), (ख) और (घ) यद्यपि डिस्ट्रीब्यूटरों को तेल कंपनियों की ओर से स्थायी अनुदेश है कि उनसे हाट प्लेट खरीदने के लिए दबाव न डाला जाए, तथापि हाट प्लेटों की जबरदस्ती खरीद पर कुछ शिकायतों की रिपोर्ट तेल कंपनियों द्वारा की गई है। एल० पी० जी० के उपभोक्ताओं के हित की रक्षा के लिए पहले ही डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए "विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश" लागू हैं। चूक करने वाले डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाती है।

(ग) चेतावनी-पत्र पहले ही जारी किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैट्रोल/डीजल पम्प खोलना

3436. **श्री छोटू भाई पटेल:** क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर नये पैट्रोल/डीजल पंप खोलने के संबंध में सरकार कौन से दिशा निर्देशों/मापदण्डों का अनुसरण करती है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि, राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैट्रोल/डीजल पम्प उपलब्ध न होने के कारण मोटर वाहनों के मालिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर नये फिलिंग स्टेशन खोलने के संबंध में कोई आवेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में खोले जाने हेतु स्वीकृत किए गए नए फिलिंग स्टेशनों का ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) संयुक्त एम एस/एच एस डी और अकेले एच एस डी खुदरा बिक्री के केन्द्रों के लिए मात्रा-दूरी के मानदंडों के आधार पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा बिक्री केन्द्र खोले जाते हैं जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।

(ग) और (घ) देश के विभिन्न भागों में नए खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए समय-समय पर आवेदन प्राप्त होते हैं जिसमें मध्य प्रदेश शामिल है। सर्वेक्षण के उपरान्त, मात्रा-दूरी के मानदंडों को पूरा करने वाले स्थानों को नए खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए "उद्योग विपणन योजना" में शामिल किया जाता है।

(ङ) वर्ष 1988—1993 की अवधि के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना में मध्य प्रदेश राज्य के 100 (एक सौ) स्थानों का प्रस्ताव किया गया है।

तेल-शोधक कारखानों की क्षमता

3437. **श्री छोटू भाई पटेल:** क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक तेल-शोधक कारखाने की वर्तमान क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ तेल शोधक कारखानों के विस्तार के लिए कोई कदम उठाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम के पूरा होने पर ऐसे प्रत्येक तेल-शोधक कारखाने की क्षमता में कितनी अतिरिक्त वृद्धि होने की सम्भावना है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) देश में रिफाइनरियों की स्थापित क्षमता नीचे दी गई है:

रिफाइनरी का स्थान	स्थापित क्षमता (मि० मी० टन० प्रति वर्ष)
1 2	3
1. गुवाहटी	0.85
2. बरौनी	3.30
3. कोयाली	9.50
4. हल्दिया	2.75
5. मथुरा	7.50
6. डिगबोई	0.50
7. एच०पी०सी०एल०, बम्बई	5.50
8. एच०पी०सी०एल०, विजाग	4.50
9. बी०पी०सी०एल०, बम्बई	6.00
10. मद्रास	5.60